राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 150/2021

मदन लाल बुनकर **–अपीलार्थी**

बनाम

1. प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निदेशक (अराजपत्रित), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, निदेशालय, जयपुर।
3. अधीक्षक, मनोरोग केन्द्र (एस.एम.एस. चिकित्सा कॉलेज), जनता कॉलोनी, जयपुर।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 04.01.2021
आदेश की दिनांक : 11.01.2023

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री एम.सी.जैन, अभिभाषक
प्रत्यर्थीगण की ओर से : श्री पुष्पेन्द्र पाल सिंह, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– शुचि शर्मा, सदस्य
लेखराज तोषावड़ा, सदस्य

आदेश

प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी ने चाहा है कि अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाकर आलोच्य आदेश दिनांक 24.12.2020 (अनुलग्नक–1) को अपास्त फरमाया जावे और अपीलार्थी को नर्सिंग अधीक्षक के पद पर उससे कनिष्ठ कार्मिक को पदोन्नत किए जाने की तिथि से पदोन्नत किए जाने का निर्देश दिया जावे।

अपील के तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार हैं :–

अपीलार्थी की नियुक्ति वर्ष 1985 में दिनांक 19.01.1985 को नर्सिंग ग्रेड द्वितीय के पद पर हुई थी और उसे वर्ष 2000 में नर्सिंग ग्रेड प्रथम के पद पर पदोन्नत किया गया। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 24.12.2020 के द्वारा 297 कार्मिकों को राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधीनस्थ सेवा नियम, 1965 संशोधित नियम 23 एवं 24 के द्वारा डी.पी.सी. के तहत नर्सिंग ग्रेड प्रथम से नर्सिंग अधीक्षक के पद पर पदोन्नत किया गया। उनका कथन है कि प्रत्यर्थी विभाग ने अंतिम वरिष्ठता सूची नर्स ग्रेड प्रथम के पद की दिनांक 01.04.2014 को जारी की थी, जिसमें अपीलार्थी का नाम क्रम संख्या 204 पर अंकित किया गया था, जो अनुलग्नक–2 से प्रकट होता है। परंतु पदोन्नति आलोच्य आदेश दिनांक 24.12.2020 में अपीलार्थी का नाम अंकित नहीं किया गया और उसे बताया गया कि अपीलार्थी ने

विभाग में संबंधित प्राधिकारी के समक्ष आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए। अपीलार्थी ने दिनांक 28.12.2020 को प्रत्यर्थी संख्या 2 को प्रार्थना पत्र दिया, जिसमें उसने नर्सिंग ग्रेड प्रथम के पद पर पदोन्नत करने के लिए अपने नाम पर विचार करने के लिए निवेदन किया। उनका कथन है कि अपीलार्थी से 62 कार्मिक कनिष्ठ होने के बावजूद पदोन्नत कर दिया गया। परंतु अपीलार्थी को पदोन्नत नहीं किया गया। अपीलार्थी की जन्म तिथि 10.01.1963 है और जन्म तिथि के आधार पर वह दिनांक 31.01.2023 को सेवानिवृत्त होने वाला है। अपीलार्थी कोरोना वार्ड में कार्यवाहक नर्सिंग अधीक्षक का आदेश दिनांक 09.06.2020 से अतिरिक्त कार्यभार संभाल रहा है। अपीलार्थी के विरूद्ध कोई भी जांच लम्बित नहीं है और ना ही उसका कोई सेवाभिलेख कंलकित है। अपीलार्थी की हमेशा सेवाएं संतोषजनक रही हैं।

अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाकर आलोच्य आदेश दिनांक 24.12.2020 (अनुलग्नक–1) को अपास्त फरमाया जावे और अपीलार्थी को नर्सिंग अधीक्षक के पद पर उससे कनिष्ठ कार्मिक को पदोन्नत किए जाने की तिथि से पदोन्नत किए जाने का निर्देश दिया जावे।

प्रत्यर्थी विभाग के विद्वान् राजकीय अधिवक्ता ने अपील में जवाब प्रस्तुत करते हुए यह प्रतिवाद किया है कि नर्सिंग अधीक्षक के पद पर चयन के आदेश दिनांक 24.12.2020 द्वारा जारी किए गए। अपीलार्थी ने मेल नर्स प्रथम ने अपना संतान संबंधी प्रमाण पत्र दिनांक 28.12.2020 को प्रस्तुत किए जाने के कारण उनका चयन नर्सिंग अधीक्षक के पद पर नहीं किया गया। संतान संबंधी प्रमाण पत्र नर्सिंग अधीक्षक पद पर पदोन्नति तिथि 23.12.2020 पूर्व नहीं भिजवाने के कारण उनका चयन नहीं किया जाकर डेफर किया गया है। संतान संबंधी प्रमाण पत्र प्राप्त हो जाने के कारण भविष्य में आयोजित की जाने वाली पुनरावलोकन बैठक (रिव्यू डी.पी.सी.) में इनका चयन कर पदोन्नत किया जाएगा। अतः अपीलार्थी की अपील में जिस प्रकार से प्रार्थना की गई है वह स्वीकार करने योग्य नहीं है। अपीलार्थी की अपील खारिज फरमाई जावे।

हमनें उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस सुनी एवं पत्रावली में उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन कर मनन किया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिलेख एवं अभिवचनों से स्पष्ट होता है कि अपीलार्थी की नियुक्ति दिनांक 19.01.1985 को नर्सिंग ग्रेड द्वितीय के पद पर हुई थी और उसे वर्ष 2000 में नर्सिंग ग्रेड प्रथम के पद पर पदोन्नत किया गया। अंतिम वरिष्ठता

सूची दिनांक 01.04.2014 (अनुलग्नक–2) के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि अपीलार्थी का नाम क्रम संख्या 204 पर अंकित है और अपीलार्थी से कनिष्ठ कार्मिकों का जिनका नाम अनुलग्नक–2 में अंकित है, अपीलार्थी से कनिष्ठ होते हुए भी उनको आदेश दिनांक 24.12.2020 अनुलग्नक–1 के द्वारा नर्सिंग अधीक्षक के पद पर पदोन्नत कर दिया गया जबकि अपीलार्थी को पदोन्नत नहीं किया गया। जहां तक अपीलार्थी द्वारा संतान संबंधी प्रमाण पत्र डी.पी.सी. आयोजित होने से पूर्व सम्मिलित नहीं किए जाने का प्रश्न है। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा जवाब में यह अंकित किया है कि अपीलार्थी द्वारा वर्तमान में संतान संबंधी प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर दिया है पूर्व में उक्त सूचना अपीलार्थी द्वारा नहीं दी गई थी। इस प्रकार अब वर्तमान में अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी विभाग को किसी भी सूचना को प्रेषित करना शेष नहीं हैं, इसलिए जिस तिथि से अपीलार्थी से कनिष्ठ कार्मिकों को पदोन्नति प्रदान की गई है उसी तिथि से अपीलार्थी भी नियमानुसार पदोन्नति परिलाभ आदि प्राप्त करने का अधिकारी है।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार फरमाई जाती है। अंतिम वरिष्ठता सूची दिनांक 01.04.2014 (अनुलग्नक–2) के अनुसार अपीलार्थी नर्सिंग अधीक्षक के पद पर पदोन्नति हेतु पात्रता रखता था। इस प्रकार प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिए जाते हैं कि वह उसकी सेवानिवृत्ति जो माह जनवरी, 2023 में होना नियत है, को ध्यान में रखते हुए दो सप्ताह में रिव्यू डी.पी.सी. आयोजित करें और जिस तिथि से अपीलार्थी से कनिष्ठ कार्मिकों को नर्सिंग अधीक्षक के पद पर पदोन्नत करते हुए उनको लाभ दिया गया है, उसी तिथि से अपीलार्थी को भी नियमानुसार नर्सिंग अधीक्षक के पद पर पदोन्नत करते हुए समस्त पारिणामिक लाभ प्रदान किए जावें। उक्त आदेश की पालना इस आदेश के जारी होने की दिनांक से दो सप्ताह में सुनिश्चित की जावे।

(लेखराज तोषावड़ा)
सदस्य

(शुचि शर्मा)
सदस्य